बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–30.11.2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय भवन के फायर सेफ्टी ऑडिट कराने एवं इसमें अग्निशमन उपकरणों एवं अग्निशमन यंत्रों को लगाने के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

---

1. **उपस्थिति – संलग्न**

2. सर्वप्रथम प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को स्वागत किया गया। पटना मुख्य सचिवालय भवन के फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान उद्घाटित कई संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आहूत की गई है। महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा गृहरक्षावाहिनी–सह–अग्निशाम सेवाएँ द्वारा पावर प्वाईंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों को वरीय पदाधिकारियों के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया –

<u>प्रस्तुतिकरण के प्रमुख बिन्दु</u>

- मुख्य सचिवालय के उन जगहों के चित्र प्रस्तुत किए गए, जो अग्नि की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील एवं खतरनाक हैं– पुराने कबाड़, टूटे फूटे फर्नीचर, बिजली के खुले तार एवं फ्यूज, फाईलों के गट्ठर इत्यादि तथा कॉरीडोर में मार्ग को बाधित करते हुए लकडी के अलमीरा के चित्र।
- कुछेक विभागों एवं कॉरीडोर में अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, किन्तु अधिकांश यंत्र खराब एवं बेकार पड़े हुए हैं। इन यंत्रों की अब कोई उपयोगिता नहीं है। अधिकांश विभागों में कोई अग्निशमन यंत्र/उपकरण लगे ही नही हैं।
- अग्निसुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए :– कारीडोर की सीढ़ियों को साफ साथ रखा जाए। रद्दी कागजों, पुराने टेबल, कुर्सियों लकडी के अलमीरा का ढेर कारीडोर में नहीं लगाया जाए। बिजली संबंधी स्वीच, तार आदि ISI मार्क के लगाए जाएँ।

➢ महत्वपूर्ण भवनों के लिए अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 के तहत अग्निसुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत पदाधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता है।

➢ प्रत्येक विभागों में सुरक्षा संबंधी नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए।

➢ महानिदेशक–सह–महानिदेशक गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ की अध्यक्षता विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारियों की समिति का गठन किया जाए एवं प्रत्येक दो माह में महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा के स्तर पर इसकी बैठक की जाए।

➢ उपयुक्त अग्निशमन यंत्रों को प्रत्येक सचिवालय भवन एवं अन्य कार्यालयों में लगाया जाए और उसकी समुचित देखभाल की जाए।

<u>बैठक में किए गए निर्णय एवं मुख्य सचिव का निदेश</u>

1) सर्वप्रथम अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।
2) महानिदेशक अग्निशमन सेवा द्वारा सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को, अग्नि की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों, जो उनके विभाग के समीप है, चित्र e-mail द्वारा भेजे

जाए, जिसमें उन्हें हटा लेने का श्रम करने का अनुरोध किया जाएगा और इसकी सूचना आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाएगी।

3) आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के माध्यम से सभी विभागों को पत्र दिया जाएगा कि वे सभी संवेदनशील स्थलों को दुरूस्त करने का श्रम करेंगें और तत्संबंधी चित्र/प्रतिवेदन के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत आगामी बैठक में भाग लेंगे।

4) मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहूत आगामी बैठक में भवन/विद्युत–ऊर्जा एवं पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा और वे भी अपने–अपने प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेंगे।

5) मुख्य सचिवालय भवन/विकास भवन (नया सचिवालय)/सिंचाई भवन/ एवं विश्वेश्वरैया भवनों के पुराने एवं बेकार पड़े उपकरणों को हटाकर उसकी जगह नए उचित प्रकार के उच्च मानकों वाले Fire Extinguisher को लगाने, उनकी देखभाल करने और उनको समय–समय पर Recharge करने का दायित्व महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृहरक्षा वाहिनी–सह अग्निशमन सेवाओं को दिया गया। इन भवनों के लिए उचित प्रकार के उपकरणों का क्रय करेंगे और उन्हें लगवायेगें साथ ही उसका 5 वर्षो का AMC भी करवाएँगें।

6) अग्निसुरक्षा अधिनियम 2014 में सभी महत्वपूर्ण भवनों के लिए अग्नि सरुक्षा पदाधिकारियों की नियुक्तियों का प्रावधान है। इसके लिए महानिदेशक अग्निशमन सेवा पद सृजन कराकर नियुक्ति हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगें।

7) चारो सचिवालय के सभी विभाग अपने यहाँ एक–एक नोडल पदधिकारी की नियुक्ति करेंगे और इनकी बैठक प्रत्येक दो माह में महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवायँ की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सुरक्षा संबंधी कार्यवाईयों को शामिल किया जाएगा। तत्पश्चात् मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक होगी।

8) अग्निशमन सेवा द्वारा चारों प्रमुख भवनों में कार्मिकों की जागरूकता/प्रशिक्षण एवं मॉकड्रिल हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के साथ सहयोग कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–27/2015................/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–27/2015................/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग/महानिदेशक–सह–समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा तथा पुलिस महानिदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
विशेष सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–27/2015...4508/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–14/12/15

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

14/12/15
विशेष सचिव

\\Pc5-pc\d\PC 5 (2015)\Draft\Fire Control Yantra.doc

दिनांक–30.11.2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय भवन का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने एवं इसमें अग्निशमन उपकरण एवं अग्निशमन यंत्रों को लगाने के संबंध में आयोजित बैठक की उपस्थिति –

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर	मोबाईल नं0/ ई–मेल
1				
2				
3				
4				
5				
6	[illegible] कुमार	[illegible] विभाग	[signature]	9471000503
7	प्रदीप कुमार/सचिव	ग्रामीण विकास विभाग	[signature]	
8	आमिर सुबहानी	प्रधान सचिव गृह विभाग	[signature]	9473191419
9	राजेश कुमार	राजस्व पर्षद	Raja kr.	
10	शशि भूषण तिवारी	निदेशक, भू-अर्जन सह-विशेष सचिव	[signature] 30/11	8544412994
11	चन्द्र भूषण,	योजना एवं विकास विभाग, बिहार	[signature]	9431480317
12	रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव	संसदीय कार्य विभाग	[signature]	9431425853
13	अशोक कुमार झा, उप समादेष्टा, SDRF	आपदा प्रबंधन विभाग	[signature] 30.11.15	8084101239
14	[illegible] कुमार	आपदा-प्रबंधन विभाग	[signature] 30/11/15	9431864615
15	अशोक कुमार सिंह	संयुक्त सचिव परिवहन विभाग	[signature]	
16	मदन कुमार	प्रभारी अग्निशाम पदाधिकारी, सचिवालय	[signature]	9431426486
17	सुनील कुमार गुप्ता	राज्य अग्निशाम पदाधिकारी -सह- निदेशक	[signature]	9473199832
18	[illegible] गगन, OSD	राजस्व एवं भूमि सुधार [illegible]	[signature]	8544412972

19. [illegible] प्रसाद | संयुक्त निदेशक गृह विभाग | [signature] | 9473397816

20. मनोज कुमार | OSD, स्वास्थ्य एवं [illegible] विभाग | [signature] | 9473241771